5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , म0 प्र0

राजस्व निगरानी प्र0 क्र0 / 2015
निगरानी 298-I-15

श्री मती रजनी वशिष्ठ शर्मा
द्वारा आज दि. 5-2-15 को
प्रस्तुत

माताद्दीन तनय श्री मोहन बुनकर निवासी ग्राम खरगापुर
तहसील - खरगापुर जिला - टीकमगढ़
--निगराकार

बनाम

1. अहकू उर्फ गिलौजी बुनकर पुत्र मोहन बुनकर
निवासी खरगापुर तहसील खरगापुर प्रतिनिगराकार
जिला - टीकमगढ़

प्रस्तुत निगरानी म0 प्र0 भू0 रा0सं0 धारा 50 के अन्तर्गत

5-2-15

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण क्र0 257 /36-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 9.12.14 से व्यथित होकर :-

महोदय,

यह कि भूमि स्थित ग्राम खरगापुर खसरा क्रमांक 1320/1 कुल रकवा 0.196 एवं 1320/2 कुल रकवा 20 आरे0 के रिकार्ड दुरूस्त हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया गया जिससे व्यथितहोकर निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जा रहीहै।

§1§ यह कि उपरोक्त भूमि निगराकार के पिता द्वारा अपने जेष्ट पुत्र जो निगराकार का बड़ा भाई है प्रस्तुत निगरानी में प्रति निगराकार है के नाम नाबालिग उम्र में क्रय की थी उस समय निगराकार का जन्म नही हुआ था इस तरह भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पत्ति है । जिसमें निगराकार एवं प्रतिनिगराकार के मध्य बटबारा भी पूर्व में होचुका था मौके पर निगराकार प्रति निगराकार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर निस्तार रत है । जिस पर निगराकार द्वारा अपने हक हिस्से में मकान आदि का निर्माण कर लिया एवं लगातार 30-40

/2/

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -295-I/2015 **जिला टीकमगढ़**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश मातादीन / अडकू	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर बताया कि पक्षकारगण यानी आवेदक एवं अनावेदक अब प्रकरण को आपसी सहमति के आधार पर आगे नहीं चलाना चाहते है, ऐसी स्थिति में प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त करने का अनुरोध समक्ष में मौखिक रूप से किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारगण की ओर से किए गये निवेदन पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	